पुलिस आदेश सं० 199/87

रेल जिला बल में आरक्षी पदाधिकारियों के पदस्थापन की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की जाती है। जो आरक्षी पदाधिकारी रेल जिला बल में जिस जिला अथवा अन्य बल से आते हैं उन्हें उसी जिला अथवा अन्य बल में वापस किया जायगा एवं उनके जिला एवं क्षेत्र की अवधि में रेल जिला बल में पदस्थापन की अवधि शामिल नहीं की जायगी। इस कड़ी में उसी जिला बल से आरक्षी पदाधिकारियों को रेल जिला बल में पदस्थापित किया जाएगाजिस जिला के अन्तर्गत सम्बन्धित रेल थाना आते हैं। इस आदेश का अनुपालन आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेलवे एवं सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश दिनांक 26.9.87 से लागू होगा। रेल से स्थानान्तरण होने पर पहले रेल पुलिस के पदाधिकारी ही प्रस्थानकरेंगे।

26/9/87

(एस० एन० राय)

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक 4485/पी-1
4-9-12-87

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।
पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 1987.

प्रतिलिपि-

सभी आरक्षी अधीक्षक/क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/क्षेत्रीय महानिरीक्षक/रेल आरक्षी अधीक्षक/उप-महानिरीक्षक, रेलवे/महानिरीक्षक, रेलवे/ महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/निगरानी/ पी-2 शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

26/9/87

(एस० एन० राय)

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।